



इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इन्दौर (म.प्र.)

शॉपिंग उपयोग के
भूखण्ड को भूमि स्वामी
अधिकार (फ्री-होल्ड)
पर प्राप्त करने का
सुनहरा अवसर

विज्ञप्ति क्रमांक : 136

दिनांक : 18.07.2024

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 114-प्रथम में शॉपिंग उपयोग के भूखण्ड को भूमि स्वामी अधिकार पर न्यूनतम दर के बराबर या अधिक दर पर व्ययन करने हेतु Online निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	ई-टेण्डर पोर्टल क्रमांक	संपत्ति का उपयोग	संपत्ति क्रमांक	आरक्षित श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मीटर)	अर्नेस्ट मनी (रु. करोड में)
1	2024_DTCP_358139_1 Click here for location:-	शॉपिंग उपयोग	शॉपिंग	सामान्य	3570	80000	2.85 करोड

ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने संबंधी तिथियाँ

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	22-07-24	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	14-08-24	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र खोलने एवं जाँचने का दिनांक एवं समय	16-08-24	11:30 hrs.
4	पात्र निविदादाताओं के ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	22-08-24	11:30 hrs

नोट :-

- निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर देखी एवं ऑनलाईन क्रय की जा सकती है। ई-टेण्डर हेल्प डेस्क का टोल फ्री नंबर **01204001002** है।
- निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति) राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से कर सकेगा।
- निविदादाता को अपने निविदा ऑफर (दर) ऑनलाईन देना होगा। सभी डाक्यूमेंट्स ऑनलाईन अपलोड करना होंगे। निविदादाता को पंजीयन राशि रसीद, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तें आदि की प्रति स्केनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- प्राधिकरण को निविदा स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल में मॉ. 98936-99113 पर संपर्क करें।
अथवा प्राधिकारी कि वेबसाइट www.idaindore.org पर देखें।